न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/35

1. घींसी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री उद्दा जी गुर्जर वयस्क निवासी जलौदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. कैलाश बाई पुत्री श्री उद्दा जी गुर्जर वयस्क निवासी जलोदा पत्नी भीमराज गुर्जर निवासी झरानिया की झौपडिया तहसील के0 पाटन ।
3. सुनीता बाई पुत्री श्री उद्दा गुर्जर वयस्क निवासी जलोदा तहसील के0 पाटन ।
4. मोनू पुत्र श्री उद्दा जाति गुर्जर निवासी जलोदा वयस्क ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती समेदरा बाई आयु 60 वर्ष पुत्री श्री बदरीलाल पत्नी श्री सीताराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम रिहाणा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री मदन लाल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 01.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.10.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्टगण क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद खातेदारी अधिकार घोषणा एवं बंटवारा तथा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर कथन किया कि ग्राम अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में खसरा नम्बर 60 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 372 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादिनी एवं उद्धा जी के खाते एवं कब्जे की भूमियॉ हैं । बद्रीजी का देहान्त होने के पश्चात् फौती इंतकाल नम्बर 167 दिनांक 20.09.1977 को खोला गया उसमें बद्री जी की बेवा व पुत्र मदन का नाम अंकन किया गया और वादिनी का नाम छोड दिया गया । बद्री जी की बेवा सोसर नाता बैठ चुकी थी और मदन पुत्र का

देहान्त हो चुका था । उद्धा जी द्वारा फौती इंतकाल नं0 642 दिनांक 05.04.1984 खुलवाकर स्वयं का नाम अंकित करवा लिया जबकि बद्री जी की वारिस व माता व भाई की वारिस भी वादिनी पुत्री ही होती है किन्तु उद्धा जी ने अवैधानिक व गैर कानूनी रूप से अपना नाम अंकित करवा लिया जबकि 1/2 हिस्से में वादिनी का नाम अंकित होना चाहिए । उक्त भूमि के वर्तमान में खसरा नम्बर 795/2622 रकबा 1.51 हैक्टर है जिसमें वादिनी का 1/2 हिस्सा है । वादिनी को अधिकार है वह वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवाकर अपने हिस्से की भूमि का अपने पृथक खाते में दर्ज करवाए ।

3. अतः वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशाय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादिनी को 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जावे तथा अपना 1/2 हिस्से का विधिवत विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से दर्ज किया जावे तथा उक्त भूमि पर वादिनी को तन्हा कब्जा दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादीगण कम 1 से 4 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादिनी का वाद खारिज करने एवं प्रतिवादीगण कम 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.10.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री किया कि वादग्रस्त आराजी में वादिनी को 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 23.10.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 से 4 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्टगण वादग्रस्त आराजी पर पिछले 12 वर्षों से अधिक समय से बहैसियत सम्पूर्ण खातेदार काबिज चले आ रहे हैं । रेस्पोडेन्ट कम 01 का भूमि पर या उसके किसी भाग पर कोई कब्जा नहीं था फिर भी राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम न होते हुए उसे सहखातेदार घोषित करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की है । रेस्पोडेन्ट कम 1 के नामान्तरकरण की अपील जिला कलक्टर साहब बून्दी ने खारिज कर दी है । अपीलान्ट पिछले 12 वर्षों से उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं । वादी ने सभी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया जबकि वह प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे । उक्त वाद में दिनेश, मनीष पुत्री नाथीबाई हिस्सा 1/5 भी खातेदार अंकित थे उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है । वादी का वाद खारिज योग्य था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.10.2017 निरस्त फरमाई जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के विरूद्ध हक घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं विभाजन का दावा पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अपने निर्णय दिनांक 23.10.2017 के प्रारम्भिक डिक्री किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट उक्त भूमि पर पिछले 12 वर्षों से भी अधिक समय से बहैसियत सम्पूर्ण खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । रेस्पोडेन्ट का किसी भी भाग पर कब्जा नहीं है न ही उनका राजस्व रिकॉर्ड में नाम है फिर भी उन्हें सहखातेदार घोषित किया है ।

रेस्पोडेन्ट कम 1 के द्वारा नामान्तरकरण की अपील पेश की गई थी जिसे जिला कलक्टर बून्दी के द्वारा खारिज किया गया है । रेस्पोडेन्ट के समस्त अधिकार समाप्त हो चुके हैं । । प्रदर्श– 1 व 2 की ओर ध्यान दिये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.10.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 2014 (एससी) पेज 3070, आरआरडी 2016 पेज 106 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा जो रूलिंग कोट की गई हैं वो इस प्रकरण में लागू नहीं होती हैं । रेस्पोडेन्ट बद्री की पुत्री है इस नाते वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है । हक घोषणा के दावे में कोई समय सीमा नहीं होता है और न ही एक सहखातेदार का कब्जा दूसरे सहखातेदार के खिलाफ प्रतिकूल हो सकता है । जिला कलक्टर के निर्णय के खिलाफ अपील पेश की गई है। नामान्तरकरण प्रकिया एक फिसकल प्रकिया होती है जो पक्षकारों के अधिकार तय नहीं कर सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.10.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरडी 2011 पेज 508, आरआरडी 2015 पेज 556, आरआरडी 2016 पेज 464, आरआरडी 2007 पेज 562, आरआरडी 1994 पेज 659 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 1995 से 2015 प्रदर्श– 1 संलग्न है, केचमेंट द्वारा जारी जमाबन्दी संवत् 1989–90 प्रदर्श– 2, नकल जमाबन्दी संवत् 2045 से 2048 प्रदर्श – 3, नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2022 से 2041 प्रदर्श– 4 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराज़ी बद्री एवं उद्धा पिसरान भूरा के खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 प्रदर्श– 5, भू–प्रबन्ध विभाग का पर्चा लगान प्रदर्श–6, नकल जमाबन्दी संवत् 2041 से 2044 प्रदर्श– 7, नकल नामान्तरकरण संख्या 167 प्रदर्श–8, नकल नामान्तरकरण संख्या 648 प्रदर्श–9 और नकल जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 प्रदर्श– 10 संलग्न हैं ।

11. प्रतिवादी की ओर से असल इकरारनामा प्रदर्श– ए–1, नकल निर्णय जिला कलक्टर, बून्दी दिनांक 16.02.1999 प्रदर्श– ए–2 पेश किया गया है ।

12. वादिनी के बयान पीडब्ल्यू–1 एवं प्रतिवादी की ओर से बयान घींसीबाई डीडब्ल्यू–1 एवं प्रेमचन्द डीडब्ल्यू– 2 कराये हैं।

13. वादिनी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह कथन करते हुए दावा पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी उनके पिता व उद्धा के सहखाते में दर्ज थी । आराजी उनके पिता बद्री की मृत्यु के बाद उनकी विधवा एवं पुत्र के नाम दर्ज की गई वादिनी का नाम सहवन से छोड दिया गया है । उसके पश्चात् बद्री की बेवा नाते जाने एवं पुत्र की मृत्यु हो जाने से आराजी उद्धा के खाते दर्ज की गई, जबकि वादिनी बद्री की विधिक वारिस होने के नाते 1/2 हिस्से की सहखातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है । मुताबिक नकल नामान्तरकरण संख्या प्रदर्श– 8 बद्री की मृत्यु होने पर आराजी सोसर बेवा एवं लडका मदन का हिस्सा 1/2 दर्ज किया गया और मुताबिक नकल नामान्तरकरण प्रदर्श– 9 के अनुसार सोसर के नाते जाने और पुत्र मदन के फौत हो जाने पर आराजी उनके भाई उद्धा के खाते दर्ज की गई है । जबकि यह स्वीकृत

तथ्य है कि वादिनी बद्री लाल की पुत्र है । गवाह प्रेमचन्द डीडब्ल्यू– 2 ने जिरह में स्वीकार किया है कि समेदरा बाई बद्री लाल की पुत्री है । इसी तरह से गवाह घींसी बाई ने जिरह में स्वीकार किया है कि समेदरा बाई बद्रीलाल की लडकी है । इस प्रकार यह निर्विवाद है कि वादिनी बद्री लाल की पुत्री है । तद्नुसार वादग्रस्त आराजी में वह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार 1/2 हिस्से की सहखातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है । बद्री की पत्नी के नाते जाने व पुत्र की मृत्यु पर उद्धा के पक्ष में जो नामान्तरकरण खोला गया है वो अवैध है ।

14. अपीलान्ट के द्वारा अपील में मुख्य रूप से आपत्ति यह की गई है कि वादग्रस्त आराजी में 12 वर्ष से अधिक समय से वादिनी का कब्जा नहीं है इस कारण उन्हें सहखातेदार घोषित नहीं किया जा सकता । परन्तु एक सहखातेदार का आराजी पर कब्जा दूसरे सहखातेदार के विपरीत नहीं होता है और कृषि भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते ।

15. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2001 पेज 508, आरआरडी 2016 पेज 464, आरआरडी 1994 पेज 659 भी यहॉ चस्पा होती हैं । विद्धान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर एआईआर (एससी) पेज 3070 इन नजीरों की रोशनी में इस प्रकरण पर लागू नहीं होती हैं क्योंकि न तो एक सहखातेदार का दूसरे सहखातेदार के खिलाफ प्रतिकूल कब्जा होता है और न ही कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं । हक घोषणा के दावे के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है ।

16. विद्धान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो में यह अंकित किया है कि दिनेश, मनीष पुत्री नाथीबाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है उन्हें पक्षकार बनाया जाना क्यों आवश्यक है यह स्पष्ट नहीं किया गया है और न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेश किये गये राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम अंकित है । अपील में भी अपीलान्ट ने इन्हें पक्षकार नहीं बनाया है । जहॉ तक प्रदर्श– 1–ए का प्रश्न है इकरारनामा के आधार पर कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी पर राजस्व न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी अपीलान्ट को नहीं दिये जा सकते । नामान्तकरण एक फिसकल प्रकिया है जिससे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ।

17. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.10.2017 बहाल रखा जाता है ।

19. निर्णय आज दिनांक 01.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

1/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/35

1. घींसी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री उद्दा जी गुर्जर वयस्क निवासी जलौदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. कैलाश बाई पुत्री श्री उद्दा जी गुर्जर वयस्क निवासी जलोदा पत्नी भीमराज गुर्जर निवासी झरानिया की झौपडिया तहसील के0 पाटन ।
3. सुनीता बाई पुत्री श्री उद्दा गुर्जर वयस्क निवासी जलोदा तहसील के0 पाटन ।
4. मोनू पुत्र श्री उद्दा जाति गुर्जर निवासी जलोदा वयस्क ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती समेदरा बाई आयु 60 वर्ष पुत्री श्री बदरीलाल पत्नी श्री सीताराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम रिहाणा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.10.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 112/दावा/2007

श्रीमती समेदरा बाई आयु 60 वर्ष पुत्री श्री बदरीलाल पत्नी श्री सीताराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम रिहाणा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. घींसी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री उद्दा जी गुर्जर वयस्क निवासी जलौदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. कैलाश बाई पुत्री श्री उद्दा जी गुर्जर वयस्क निवासी जलोदा पत्नी भीमराज गुर्जर निवासी झरानिया की झौपडिया तहसील के0 पाटन ।
3. सुनीता बाई पुत्री श्री उद्दा गुर्जर वयस्क निवासी जलोदा तहसील के0 पाटन ।
4. मोनू पुत्र श्री उद्दा जाति गुर्जर निवासी जलोदा वयस्क ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.10.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 01.04.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री मदन लाल जैन एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रामदत्त शर्मा के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.10.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 01.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

1/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा